BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 100/2024

IN THE MATTER OF:

Applicant M/s Individuals

Versus

Respondents Madhya Pradesh Pollution Control Board & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Status Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board		02-04
2.	Copy of Letter dated 22.02.2017	R-1	05-07
3.	Copy of Letter dated 25.02.2017	R-2	08
4.	Copy of Letter dated 29.12.2017	R-3	09-27
5.	Copy of Letter dated 24.12.2018	R-4	28
6.	Copy of Letter dated 13.04.2018	R-5	29
7.	Copy of Letter dated 30.12.2019	R-6	30
8.	Copy of Letter dated 19.05.2022	R-7	31

Place: Bhopal **MPPCB**
Date: 05.11.2024

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph. No.: (+91)-80859-77111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb_gwalior@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्टेटस रिपोर्ट

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 100/2023 मेसर्स इण्डिविजुअल्स विरुद्ध म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य।

विषयांकित प्रकरण में पिटीशनर द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि बोर्ड द्वारा मेसर्स इण्डिविजुअल्स पर आदेश दिनांक 24.02.2018 द्वारा अधिरोपित की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रु. 2,57,09,588/- की निर्धारण प्रक्रिया में पिटीशनर को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था तथा इस कारण से बोर्ड द्वारा जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति निर्धारण का आदेश दिनांक 24.02.2018 Unjust, Arbitary and Unconstitutional है, जिसे जारी करने की प्रक्रिया में बोर्ड/कमेटी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।

मेसर्स इण्डिविजुअल्स पर अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पृष्ठभूमि एवं की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार हैः-

(1) पूर्व में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओए 21/2015, ओए 22/2015 एवं 110/2014 मं माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 05.01.2017 को आदेश पारित कर साइट इंसपेक्शन के लिये कोर्ट कमिश्नर श्री एस. आर. बाघमारे को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा दिनांक 09.01.2017 को मेसर्स इण्डिविजुअल्स की दतिया जिले में स्थित रेत खदान का निरीक्षण किया गया। दिनांक 15.01.2017 को कोर्ट कमिश्नर द्वारा माननीय एनजीटी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

(2) दिनांक 02.02.2017 को माननीय एनजीटी द्वारा आदेश पारित कर कलेक्टर दतिया को मेसर्स इण्डिविजुअल्स की रेत खदान का संचालन बंद करने के निर्देश दिये गये।

(3) दिनांक 17.02.2017 को माननीय एनजीटी द्वारा आदेश पारित कर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार मेसर्स इण्डिविजुअल्स को शोकॉज नोटिस जारी करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(4) दिनांक 22.02.2017 को मेसर्स इण्डिविजुअल्स द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर को पत्र लिखकर माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 17.02.2017 के पालन की कार्यवाही करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक-1)**। बोर्ड द्वारा दिनांक 25.02.2017 को मेसर्स इण्डिविजुअल्स को नोटिस जारी किया गया **(संलग्नक-2)**।

(5) दिनांक 17.07.2017 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश पारित कर मेसर्स इण्डिविजुअल्स द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बोर्ड को पर्यावरण स्वीकृति एवं जल/वायु सम्मति निरस्त करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(6) बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण हेतु दिनांक 13.11.2017 को एक पांच सदस्सीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 05.12.2017 एवं 06.12.2017 को बैठक कर मेसर्स इण्डिविजुअल्स पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि कुल रु. 2,57,09,588/- अधिरोपित करना प्रस्तावित किया गया। समिति का कार्यवाही विवरण बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर को पत्र दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रेषित कर संस्थान पर अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये **(संलग्नक-3)**।

(7) पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मेसर्स इण्डिविजुअल्स को दिनांक 24.02.2018, 13.04.2018, 30.12.2019 एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.05.2022 को पत्र लिखे गये **(संलग्नक 4 से 7)** किन्तु संस्थान द्वारा कभी भी कोई भी जबाव बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही बोर्ड के आदेश पर कोई आपत्ति ही प्रस्तुत की गई।

(8) संस्थान द्वारा दिनांक 13.10.2018 को माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 17.07.2017 से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सीए नं. 011720/2018 दर्ज कराई गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.07.2023 को आदेश पारित कर माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 17.07.2017 को अपास्त करते हुये माननीय एनजीटी को प्रकरण क्रमांक ओए 110/2014 को पुर्नस्थापित करने तथा मेसर्स इण्डिविजुअल्स को भी रिस्पोन्डेंट बनाने के निर्देश दिये गये।

(9) माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण को पुर्नस्थापित करते हुये ओए नं. 100/2023(सीजेड) मेसर्स इण्डिविज़ुअल्स विरूद्ध म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के रूप में दिनांक 22.09.2023 को सूचीबद्ध किया गया है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के अवलोकन एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि -

(1) माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 17.02.2017 के पालनार्थ कार्यवाही करने हेतु संस्थान मेसर्स इण्डिविज़ुअल्स द्वारा स्वत: ही क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर को दिनांक 22.02.2017 को पत्र लिखा गया था **(संलग्नक-1)** अर्थात संस्थान को प्रकरण की पूरी जानकारी थी।

(2) बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि जमां करने हेतु बोर्ड द्वारा संस्थान को कई बार पत्र भेजे गये, किंतु संस्थान द्वारा ना तो राशि जमां कराई गई तथा ना ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा ना ही स्वयं का पक्ष सुने जाने की मांग ही प्रस्तुत की गई थी।

उपरोक्तानुसार स्टेटस रिपोर्ट माननीय एनजीटी में बोर्ड की ओर से प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

14.10.2024

(आर. आर. सिंह सेंगर)
क्षेत्रीय अधिकारी

229

Annexure R-1

Rvp (legal)

Date:-22/02/2017

To,

The Regional Officer
Regional Office, Gwalior
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Deen Dayal Nagar Gate-1
Gwalior (M.P.)

Sub: - Request for compliance of order dated 17/02/2017 passed in O.A. No. 22/2015 (Balwan Singh Vs. State of M.P. & Ors.)

Hon'ble Sir,

In O.A. No. 22/2015 the Hon'ble Tribunal had appointed Commissioner for carrying out inspection of the mining area of M/s Shree Individual and after physical inspection of the area the Hon'ble Tribunal directed the appointed Commissioner to submit its report the court Commissioner Shri Waghmare Advocate carried out inspection of the mining area situated at Village Ruhera Tehsil Sevda District Datiya situated at bearing Khasra No. 2222/765 and submitted its conclusion of report which is quoted as follows:-

Conclusion of Commissioner after the site visit, site inspection and interaction with villagers is as follows:-

228

1. Demarcation of Khasra no. 765 and 2222 is proper on the filed. Demarcation pillar's construction and fixation require technical input from mining official. No mechanical mining found inside khasras during the inspection of the demarcated areas or outside the demarcated area of aforesaid leased khasras.
2. No. instream mining evident during inspection. No other significant evidence seen related to instream mining.
3. Project proponent has hired a dumping yard and issuing transit passes from there also.
4. A checking post about 3 KM away from mining site is in working order keeping record of mineral transportation.

Since the compliance of EC conditions are subject matter of MPPCB therefore the Hon'ble Tribunal vide its order dated 17/02/2017 directed the RO PCB, Gwalior that, "we are of the view that the RO PCB at Gwalior shall go through the report of the Commissioner and based upon the observations therein take necessary action in accordance with law by issuing show cause notice to the concerned authorities".

Therefore now the Regional Office, Gwalior may take necessary action in accordance with law at the earliest.

Tomar

227

(BIJENDRA SINGH TOMAR)
AGED ABOUT 38 YEARS
S/O SHRI BALWANT SINGH TOMAR
R/O H.No. 101 & 102 ADITYAPURAM
BHIND ROAD GWALIOR (M.P.)
Mobile No: 9826260194

Copy to: - 1. The Member Secretary, MPPCB Paryaravan Parisar, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(BIJENDRA SINGH TOMAR)
AGED ABOUT 38 YEARS
S/O SHRI BALWANT SINGH TOMAR
R/O H.No. 101 & 102 ADITYAPURAM
BHIND ROAD GWALIOR (M.P.)
Mobile No: 9826260194

Encl: - 1. Copy of order dated 22/02/2017
2. Commissioner Report

पं0जी कृ0/ड्रेस (230)

Annexure R-2

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

दूरभाष : 0751-2472020, ई-मेल - romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 1146 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रति,

श्री बृजेंद्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इण्डीविजुअल,
ए-101, 102, आदित्यपुरम,
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषय :- राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग नहीं करने संबंधी नोटिस।

संदर्भ :- 1. पर्यावर्णीय स्वीकृति क्र. 9568 दिनांक 21.12.2015
2. मान. हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. ओ.ए. 22/2015 (सीजेड), एम.ए. नं. 106/2017 एवं 1030/2016 में पारित आदेश के परिपालन में।

महोदय,

विषयांतर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त संदर्भित पर्यावर्णीय स्वीकृति का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आपको ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा, जिला-दतिया के खसरा क्र. 765, 2222 रकवा 8.0 है. पर सशर्त पर्यावर्णीय स्वीकृति जारी की है। मान. अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर, श्री एस. आर. बाघमारे द्वारा निरीक्षण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो के उल्लंघन स्वरूप निम्नलिखित कमियां बतायी हैं:-

1. यह कि, सैण्ड माईनिंग दो मीटर से अधिक गहराई तक होना बतायी है।
2. यह कि, सैण्ड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं होना पाया है।
3. यह कि, सैण्ड माईनिंग हैवी मशीनों द्वारा होना बताया गया है।
4. यह कि, सैण्ड माईनिंग में भारी वाहनों का उपयोग होना पाया है।

उपरोक्त पायी गयी कमियों से यह स्पष्ट हो रहा है, कि आप पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावर्णीय स्वीकृति की निहित शर्तो का अवलोकन करें, जिसमें 02 मीटर की गहराई तक सैण्ड माईनिंग का कार्य मैनुअली पद्धति द्वारा किया जाना आवश्यक है। सैण्ड का परिवहन हल्की परिवहन ट्रॉली वाहन द्वारा किया जाना है। एतद द्वारा उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सैण्ड माईनिंग पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित प्रावधानों के अनुरूप होवें, अन्यथा बोर्ड इसे जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन मानकर प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होगा, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1147 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रतिलिपि :-

1. मान. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि दिनांक 25.02.17 को आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुक्रम में इस खदान को उक्त आशय का नोटिस जारी किया है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R-3

273

(stamp: म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर — 44, 05.1.18)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल–462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 796 /विधि/NGT-CZ/प्रनिबो/17 भोपाल, दिनांक 29 DEC 2017

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ग्वालियर –(म.प्र.) ।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 110/2014 (सुखराम बघेल विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के परिपालन बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.17 को पारित निर्णय आदेश के परिपालन में मेसर्स श्री इण्डीविजुअल सैण्ड माईन, ग्वालियर पर गठित पॉच सदस्यीय समिति द्वारा अधिरोपित पैनल्टी राशि की अनुशंसा का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार संस्थान पर अधिरोपित पैनाल्टी राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– संस्थान पर अधिरोपित पैनाल्टी का कार्यवाही विवरण

(ए0ए0मिश्रा)
सदस्य सचिव

272

//कार्यवाही विवरण//

मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 110/2016 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध) मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 17/7/17 को पारित आदेश के अनुपालन में मेसर्स इंडीविजुअल ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया स्थित खदान पर पेनाल्टी अधिरोपित करने हेतु बोर्ड के आदेश कमांक 586 दिनांक 13/11/17 के द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । **(संलग्नक–एक)**

दिनांक 05/12/2017 को **(संलग्नक–दो)** उपरोक्तानुसार गठित समिति की प्रथम बैठक का आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री मो. कासम खॉन, अध्यक्ष, राज्य स्ततरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ।
2. श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, राज्य स्ततरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) 3.. डॉ. अभय सक्सेना, ~~मुख्य~~ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्यालय, भोपाल ।
4. श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के प्रतिनिधि के रूप में श्री आर.के. रोहितास, कार्यपालन यंत्री

क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर के प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच ने प्रकरण कमांक 110/2016 – श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 17/7/17 **(संलग्नक–तीन)** को निम्न आदेश पारित किया है "An affidavit of the Mining Inspector has been filed (in O.A. NO. 110/2014). The same is ordered to be taken on recorded. We have noticed the contents of the affidavit. However, we find from the Annexure A/I the documents of the PCB that they had issued noticed to the Respondent/ Shri Vijendra Singh Tomar proprietor of M/s. Shree Individual pointing out that these has been breaches of the EC conditions. In view of the breach of the EC conditions, we direct that the PCB issue notice for cancellation of the EC/Air and Water consent of the M/s. Shree Individual and also impose penalty. It is further directed that the PCB will refer the matter to SEIAA for the cancellation of EC and passing an order for recovery of the amount for loss caused to the environment.

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा पेनाल्टी अधिरोपित की जाना है ।

समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित नस्ती एव दस्तावेजों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा पत्र कमांक 1146 दिनांक 25/2/17 **(संलग्नक–चार)** के माध्यम से मेसर्स श्री इंडीविजुअल, ग्वालियर को मान्नीय अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमीशनर श्री एस.आर. वाघमारे द्वारा निरीक्षण में निम्न पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सेंड माईनिंग नहीं करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है :–

271

1. यह कि सैंड माईनिंग 2 मीटर से अधिक गहराई तक होना बतायी है ।
2. यह कि सैंड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं होना पाया ।
3. यह कि सैंड माईनिंग में हैवी मशीनों द्वारा होना बताया ।
4. यह कि सैंड माईनिंग में भारी वाहनों को उपयोग होना पाया गया है ।

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर ने पत्र कमांक 6568 दिनांक 06/11/17 **(संलग्नक–पांच)** के माध्यम से सूचित किया गया है कि ग्राम रूहेरा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के सर्वे कमांक 765, 2222 रकबा 8.00 हे. के मेसर्स इंडीविजुअल द्वारा ई–नीलामी प्रस्तुत उच्चतम् ऑफर मूल्य 11,50,00000/– वार्षिक मात्रा 1,20,000 घन मीटर स्वीकृत की गई थी। तदनुसार अनुबंध 01/2/16 से 31/1/17 तक प्रथम वर्ष हेतु रेत खनिज का विकय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर निर्धारित था एवं द्वितीय वर्ष 01/2/17 से रेत खनित का विकय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर नियमानुसार निर्धारित दर है । इसी प्रकार मेसर्स श्री इंडीविजुअल ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया की उक्त सर्वे स्थित रेत खदान से दिनांक 01/2/16 से 31/1/17 तक सेंड माईनिंग 1,20,000 घन मीटर एवं द्वितीय वर्ष में दिनांक 01/2/17 से 27/2/17 तक वार्षिक सेंड मात्रा 1,20,000 घन मीटर पर 26 दिवस के मध्य औसतन 8547.94 घन मीटर रेत उत्खनन् हुआ है । मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा दिनांक 01/2/16 से 31/1/17 तक रेत खनिज का विकय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर तथा दिनांक 01/2/17 से 26/2/17 तक किए गये रेत खनिज का विकय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर निर्धारित है ।

समिति द्वारा पाया गया कि माईनिंग अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह सत्यापित किया है कि खदान की निर्धारित गहराई 2 मीटर से अधिक में उत्खनन् किया गया है, खदान का सीमांकन नहीं किया गया है एवं माईनिंग व परिवहन का कार्य हेवी मशीन द्वारा किया गया जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति की **(संलग्नक–छः)** शर्तो की विशिष्ट शर्त कमांक– 02, 08 एवं 09 एवं स्टेण्डर्ड शर्त कमांक–6 उल्लंघन है । इस प्रकरण में मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के आदेशानुसार "loss caused to the environment" हेतु खदान पर पेनाल्टी निर्धारित की जाना है किंतु इस प्रकरण में शासन द्वारा रेत की निर्धारित रायल्टी की जानकारी समिति को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । अतः समिति ने निर्णय लिया गया कि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन से इस प्रकरण में निर्धारित रायल्टी की जानकारी प्राप्त की जावे तथा समिति की आगामी बैठक दिनांक 06/12/17 को आयोजित की जावे, ताकि पेनाल्टी का राशि का निर्धारण किया जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

(सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी
मुख्यालय, भोपाल

(डॉ. अभय सक्सेना)
~~मुख्य~~ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
मुख्यालय, भोपाल

(प्रशांत श्रीवास्तव)
सदस्य, एसईएसी

(मो. कासम खान)
अध्यक्ष, एसईएसी

संलग्न अ-1

270

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 586/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/17, भोपाल,दिनांक 13 NOV 2017

कार्यालय आदेश

मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2016 (श्री सुखराम बघेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मेसर्स इन्डीविजुअल ग्राम- रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया स्थित खदान पर पैनल्टी अधिरोपित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1 श्री मोहम्मद कासम खॉन, अध्यक्ष, एसईएसी
2 श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी
3 डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
4 श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
5 क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, ग्वालियर

समिति मान्नीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पैनल्टी राशि की गणना संबंधी प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करेगी ।

(ए0ए0मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क. 587 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/17, भोपाल,दिनांक 13 NOV 2017

प्रतिलिपि :-

(1) निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल । भोपाल
(2) श्री मो. कासम ख़ान अध्यक्ष, एसईएसी, भोपाल
(3) श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल
(4) डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
(5) श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
(6) क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
(7) आई.टी.शाखा प्रभारी

संलग्न क्र.2

269

ATTENDENCE SHEET

"Committee meeting at MPPCB Conference Hall, Dt. 05/12/2017 in compliance of NGT (CZ) Bhopal Bench order no. 110/2016 (Shri Sukhram Baghel Vs MP Government and Others), dated 17.07.2017".

Sr. No.	Name	Signature
1.	Shri Mohd. Kasam Khan Chairman SEAC	[signature]
2.	Shri Prashant Shrivastava Member SEAC	[signature] 05/12/17
3.	Shri Sudheer Shrivastava, Law Officer, MPPCB, Bhopal	[signature] 5/12/17
4.	Regional Officer, MPPCB, Gwalior	For, [signature] 5/12/17 (R.K. Rohitash) E.E.
5.	Dr Abhay Saxena , Senior Scientific Officer , MPPCB, Bhopal	[signature]

संलग्न क्र-3

(268)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

Original Application No. 21/2015 (CZ)
Ravindra Kumar vs. State of MP & Ors.

and

Original Application No. 110/2014
Sukhram Baghel Vs. State of M.P. & 6 Ors.

CORAM : **HON'BLE MR. JUSTICE DALIP SINGH, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE Dr. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER

PRESENT : **Applicant:** **None**
Min. Corp./State of M.P. : **Shri Sachin K. Verma, Advocate**
MPPCB : **Ms. Parul Bhadoria, Advocate**
Respondent No. 1: **Ms. Gunjan Chowksey, Advocate**

Date and Remarks	Order of the Tribunal
Order No.25 17th July, 2017	An affidavit of the Mining Inspector has been filed (in O.A. No. 110/2014). The same is ordered to be taken on record. We have noticed the contents of the affidavit. However, we find from the Annexure –A/1 the documents of the PCB that they had issued notices to the Respondent / Shri Vijendra Singh Tomar proprietor of M/s Shree Individual pointing out that these had been breaches of the EC conditions. In view of the breach of the EC conditions, we direct that the PCB issue notice for cancellation of the EC / Air and Water consent of the M/s Shree Individual and also impose penalty. It is further directed that the PCB will refer the matter to SEIAA for the cancellation of EC and passing an order for recovery of the amount for loss caused to the environment. These matters are ordered to be **consigned to record.** In view of the above, the M.A. No. 120/17, 140/17,143 /17 & 216/17 also stand disposed of. ....,JM **(DALIP SINGH)** ....,EM **(Dr. S.S. GARBYAL)**

267 16

संलग्न क्र. 4

संलग्न-अ

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर
दूरभाष : 0751-2472020, ई-मेल - romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 1146 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रति,

श्री बृजेंद्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इण्डीविजुअल,
ए-101, 102, आदित्यपुरम,
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषय :- राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग नहीं करने संबंधी नोटिस।

संदर्भ :- 1. पर्यावर्णीय स्वीकृति क्र. 9568 दिनांक 21.12.2015
2. मान. हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. ओ.ए. 22/2015 (सीजेड), एम.ए. नं. 106/2017 एवं 1030/2016 में पारित आदेश के परिपालन में।

महोदय,

विषयांतर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त संदर्भित पर्यावर्णीय स्वीकृति का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आपको ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा, जिला-दतिया के खसरा क्र. 765, 2222 रकवा 8.0 है. पर सशर्त पर्यावर्णीय स्वीकृति जारी की है। मान. अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर, श्री एस. आर. बाघमारे द्वारा निरीक्षण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो के उल्लंघन स्वरुप निम्नलिखित कमियां बतायी हैं:-

1. यह कि, सैण्ड माईनिंग दो मीटर से अधिक गहराई तक होना बतायी है।
2. यह कि, सैण्ड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं होना पाया है।
3. यह कि, सैण्ड माईनिंग हैवी मशीनों द्वारा होना बताया गया है।
4. यह कि, सैण्ड माईनिंग में भारी वाहनों का उपयोग होना पाया है।

उपरोक्त पायी गयी कमियों से यह स्पष्ट हो रहा है, कि आप पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावर्णीय स्वीकृति की निहित शर्तो का अवलोकन करें, जिसमें 02 मीटर की गहराई तक सैण्ड माईनिंग का कार्य मैनुअली पद्वति द्वारा किया जाना आवश्यक है। सैण्ड का परिवहन हल्की परिवहन ट्रॉली वाहन द्वारा किया जाना है। एतद द्वारा उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सैण्ड माईनिंग पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित प्रावधानों के अनुरूप होवें, अन्यथा बोर्ड इसे जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन मानकर प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होगा, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1147 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रतिलिपि :-

1. मान. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि दिनांक 25.02.17 को आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुक्रम में इस खदान को उक्त आशय का नोटिस जारी किया है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न ग्र 5   266 5   17055   21-11-17

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,ग्वालियर,

Tel:0751-247202, E-mail www.romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 6568 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017   ग्वालियर, दिनांक 06-11-17

प्रति,

मान. सदस्य सचिव,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषयः–   माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रकरण क. 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के परिपालन बाबत्।

संदर्भः–   बोर्ड का पत्र क. 453 दिनांक 25.10.2017

महोदय,

विषयांतर्गत मुख्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क. 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.7.2017 को पारित आदेश के परिपालन में कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

मान. अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर श्री बाघमरे द्वारा दिनांक 09.01.2017 को ग्राम–रोहिरा, तहसील–सेवढ़ा, जिला दतिया स्थित सेंड माईन सर्वे क्र. 765, 2222 रकबा 8.0 हैक्टेयर का स्थल निरीक्षण किया है। निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के उल्लंघन स्वरूप निम्नलिखित स्थिति का होना बताया है :–

(अ) सेंड माईन 2 मीटर से अधिक गहराई तक होना बताया है।
(ब) सेंड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमारकेशन नहीं होना मिला है।
(स) सेंड माईनिंग हैवी मशीनों द्वारा होना बताया है।
(द) सेंड माईनिंग हेतु भारी वाहनों का उपयोग होना पाया है।

इस कार्यालय को विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांक 25.2.2017 को यह मौखिक निर्देश दिये गये कि श्री बाघमारे, कोर्ट कमिश्नर द्वारा पायी गयी कमियों के संबंध में उद्योग को सुधार हेतु नोटिस जारी करें। तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 1146 दिनांक 25.02.2017 के माध्यम से मेसर्स श्री इण्डीविजुअल की ग्राम रोहिरा, तह. सेवढ़ा, जिला–दतिया स्थित सैण्ड माईन को उक्त आशय का नोटिस जारी किया गया है कि 2 मीटर की गइराई तक सेंड माईन के कार्य मेन्युअली पद्धति से कर सेंड का परिवहन हल्के परिवहन ट्रॉली वाहनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। सेंड माईनिंग पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप होवे। संस्था को यह नोटिस कोर्ट कमिश्नर श्री बाघमरे की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। पत्र की छायाप्रति **संलग्न–अ** है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन भोपाल के विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश के कियान्वयन हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 1149 दिनांक 25.2.2017 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर की मेसर्स श्री इन्डीतिजुअल ग्राम–रोहिरा, तहसील–सेवढ़ा, जिला दतिया के सर्वे क्र. 765, 2222 रकबा 8.0 हैक्टेयर स्थित सेण्ड माईन के आकस्मिक निरीक्षण हेतु अधिकारियों का दल गठित किया है। छायाप्रति **संलग्न–ब** है। ताकि अपालन की स्थिति में पट्टेधारी को आवश्यक निर्देश दिये जा सकें।

265

कार्यालय द्वारा गठित अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 27.2.2017 को मेसर्स श्री इन्डीविजुअल के उक्त सर्वे स्थित रेत ख़दान का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पायी गयी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

1. सैंड माईनिंग गैंती, फावड़ा, तस्सल का उपयोग कर मजदूरों द्वारा मेन्युअली होना मिला है।
2. खदान स्थल हेतु माईनिंग अधिकारी द्वारा स्टोन स्थापित कर डिमांस्ट्रेशन किया है।
3. उद्यमी द्वारा नदी सरफेस सैंड माईन का कार्य होना मिला है।
4. माईनिंग में भारी वाहनों का उपयोग होना नहीं मिला है उनके द्वारा मेन्युअली श्रमिकों द्वारा सैंड माईनिंग कर यार्ड में सैंड का एकत्रीकरण किया जाना पाया है।
5. उद्यमी द्वारा सैंड माईन हेतु भारी मशीनों का उपयोग नहीं होना मिला है। निरीक्षण दल की रिपोर्ट **संलग्न-स** है।

कार्यालय द्वारा मुख्यालय के संदर्भित पत्र क. 453 दिनांक 25.10.2017 के परिपालन में मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सैंड माईन दतिया पर पैनल्टी अधिरोपित करने हेतु प्रभारी खनिज अधिकारी, खनिज शाखा वास्ते कलेक्टर कार्यालय दतिया को कार्यालयीन पत्र 6239 दिनांक 29.09.17 पुनः पत्र क. 6444 दिनांक 25.10.17 जारी किये हैं। छायाप्रति **संलग्न-द** है। खनिज अधिकारी दतिया द्वारा कार्यालयीन पत्रों की वांछित जानकारी के संबंध में म. प्र. राज्य खनिज निगम को काटी गयी रॉयल्टी व प्रति घनमीटर रॉयल्टी दर के संबंध में लेख करने पर दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा पत्र क. 886 दिनांक 2.11.2017 के माध्यम से इस कार्यालय को जानकारी दी है कि ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया सर्वे क. 765, 2222 रकबा 8.0 हैक्टेयर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल द्वारा ई-नीलामी में प्रस्तु. उच्चतम ऑफर मूल्य रू. 11,50,00000/- वार्षिक मात्रा 120000 घन मीटर हेतु स्वीकृत की गई थी। तद्नुसार अनुबंध दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक प्रथम वर्ष हेतु रेत खनिज का विक्रय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर निर्धारित था तथा द्वितीय वर्ष दिनांक 1.2.2017 से रेत खनिज का विक्रय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर नियमानुसार निर्धारित दर है। दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के संदर्भित पत्र सहित खनिज अधिकारी दतिया का पत्र **संलग्न-य** है।

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., उपकार्यालय, 47 सरस्वती नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर के उक्त संदर्भित पत्र के आधार पर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया की उक्त सर्वे स्थित रेत खदान से दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक सैंड माईनिंग 120000 घन मीटर एवं द्वितीय वर्ष में दिनांक 1.2.2017 से 27.2.2017 तक वार्षिक सैंड मात्रा 120000 घन मीटर पर 26 दिवस के मध्य औसतन 8547.94 घन मीटर रेत उत्खनन हुआ है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक रेत खनिज का विक्रय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर तथा दिनांक 1.2.2017 से 26.2.2017 तक किये गये रेत खनिज का विक्रय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर निर्धारित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पैनल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिये हैं। अतः महोदय, मुख्यालय स्तर से समिति का गठन किया जाकर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया स्थित खदान पर पैनल्टी अधिरोपित करने का प्रस्ताव है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
ग्वालियर, दिनांक

पृ.क्रमांक /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017

प्रतिलिपि :- विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न क्र. 07 45

264

शोधकर्ता

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 9568 / SEIAA /15
Date: 29.12.15

To,

M/s Shri Indivizual,
Shri Brijendra Singh Tomer, Owner,
R/o A-101, 102, Aditya Puram,
Air Port Road, District-Gwalior (MP)-474011

Sub:- **Case No. 3695/15 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Manual Method) in an area of 8.00 ha. for production capacity of 1,20,000 cum/year at Khasra No. 765, 2222 at Village-Ruhera, Tehsil-Sewda, District-Datia (MP) by M/s Shri Indivizual, Shri Brijendra Singh Tomer, Owner, R/o A-101, 102, Aditya Puram, Air Port Road, District-Gwalior (MP)-474011.**

This has reference to your letter received in SEIAA office on 24.08.2015 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

II. There is no National Park/Sanctuary and interstate boundary within 10 Km radius. There is no human settlement within 500 m. from mining site.

The Sand Quarry project is for production of 1,20,000 cum/year. The mining will be carried out by manual method.

III. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.

IV. Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 265th meeting dtd. 01.12.2015 and decided to accept the recommendations of 236th SEAC meeting dtd. 01.11.2015.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Sand Quarry (Manual Method) in an area of 8.00 ha. for production capacity of 1,20,000 cum/year at Khasra No. 765, 2222 at Village-Ruhera, Tehsil-Sewda, District-Datia (M.P) for the lease period to M/s Shri Indivizual, Shri Brijendra Singh Tomer, Owner, R/o A-101, 102, Aditya Puram, Air Port Road, District-Gwalior (MP)-474011, subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

A. Specific Conditions

1. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
2. The depth of the pit shall not exceed 2m. or water level whichever is less.

46

263

3. The implementation of the final order by the NGT (CZ) Bench, Bhopal and Principal Bench, New Delhi in OA No. 48/2015 (Amarkant Mishra Vs State of MP & others) shall be obligatory on the part of PP.
4. Before commencing the mining activity, site demarcation should be done leaving 100m. from the road bridge as a "no mining zone". The demarcation should be done by the WRD and Revenue Officials in the presence of Mining Officer, Datia.
5. The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out through the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
6. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
7. Plantation shall be carried out on the banks for stabilization of the banks.
8. The mining activity shall be done manually.
9. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading of sand.
10. The sand shall be transported by small trolleys up to the main transport vehicle.
11. Transport vehicles will be covered with taurpolins to minimize dust/sand particle emissions.
12. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
13. No in-stream mining shall be allowed.
14. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan and ensure that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
15. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
16. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
17. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
18. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

B. Standard Conditions

1 The banks on the curve of the river regime should be stabilized by proper bunds and then proper plantation should be carried out. Collector, should monitor so that the sand mining should not disturb the ecology of the region.

2 Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.

3 It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.

4 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

5 It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting.

6 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.

7 Parking of vehicles should not be made on public places.

8 Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.

9 Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.

10 The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps.

11 Plantation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation

47

262

should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority.

12 The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.

13 Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.

14 Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

15 Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.

16 A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government

17 The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

18 Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

19 Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(Ajatshatru Shrivastava)
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/15 Dated:
Copy to:-

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Member Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Datia, M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Datia, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003.
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal – 462002.
9. District Mining Officer, District Datia, M. P.
10. Guard file

(Dr. U.M. Shukla)
Officer-In-Charge

261

//कार्यवाही विवरण//

मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 110/2016 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध) मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 17/7/17 को पारित आदेश के अनुपालन में मेसर्स श्री इंडीविजुअल, श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर, खसरा नं. 765, 2222, ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया स्थित खदान पर पेनाल्टी अधिरोपित करने हेतु बोर्ड के आदेश कमांक 586 दिनांक 13/11/17 के द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 05/12/17 को आयोजित की गई थी ।

दिनांक 06/12/2017 को **(संलग्नक–एक)** उपरोक्तानुसार गठित समिति की द्वितीय बैठक का आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री मो. कासम खान, अध्यक्ष, राज्य स्ततरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ।
2. श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, राज्य स्ततरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)
3. डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्यालय, भोपाल ।
4. श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. श्री एन.पी. सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर।

बैठक के प्रारंभ में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर ने बताया कि दिनांक 05/12/17 को आयोजित समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकम में उनके द्वारा स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन में चर्चा कर रायल्टी की जानकारी प्राप्त की गई है तथा प्राप्त अनुसार रेत की रायल्टी दर रू. 100/घनमीटर है । **(संलग्नक–दो)**

क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर के पत्र कमांक 6568 दिनांक 06/11/17 **(संलग्नक–तीन)** से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स इंडीविजुअल ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया द्वारा दिनांक 01/2/16 से 31/1/17 तक उत्खनित 120000 घनमीटर का शासकीय दर रूपये 953.33/घनमीटर की दर से रू. 114399600.00 बिकी मूल्य आता है । दिनांक 01/2/17 से 27/2/17 तक उत्खनित रेत 8547.94 घनमीटर का शासकीय बाजार दर रू. 1006.25/घनमीटर की दर से बाजार मूल्य रू. 8601364.62 आता है। उपरोक्तानुसार दिनांक 01/2/16 से 27/2/17 तक कुल 128547.94 उत्खनित रेत का शासकीय बाजार मूल्य कुल रू. 11439960.00 + 8601364.62 = 2,00,41,324.62 बाजार मूल्य आता है ।

दिनांक 05/12/17 को सम्पन्न हुई बैठक के दौरान लिये गये तथ्यों के आधार पर पेनाल्टी लगाने बावत् समिति द्वारा निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

(I) क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर के पत्र कमांक 1146 दिनांक 25/2/17 **(संलग्नक–चार)** में उल्लेखित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के उल्लंघन की पर्यावरणीय गंभीरता ।

(II) पेनाल्टी निर्धारण हेतु सूत्र तथा दर ।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा पत्र कमांक 1146 दिनांक 25/2/17 अनुसार अधिरोपित चारों कण्डिकाओं पर पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन पाया जिसमें :–

   1. बिंदु कमांक 1, 3 तथा 4 में पर्यावरणा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है तथा बिंदु कमांक–2 से माईनिंग लीज चिन्हित होती है ।
   2. पर्यावरण की दृष्टि से तकनीकी तथा प्रशासनिक गंभीरता अनुसार इस प्रकरण में समिति द्वारा शस्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

      अ. सेंड माईनिंग 2 मीटर से अधिक गहराई तक – इस हेतु रायल्टी की दर रू. 100/घनमीटर का 60% यानि रू. 60/घनमीटर ।

260

ब. सैंड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं होना पाया – इस हेतु रायल्टी की दर रू. 100/घनमीटर का रू. 20% यानि 20/घनमीटर ।

स. सैंड माईनिंग में हैवी मशीनों द्वारा होना बताया – इस हेतु इस हेतु रायल्टी की दर रू. 100/घनमीटर का 60% यानि रू. 60/घनमीटर ।

द. सैंड माईनिंग में भारी वाहनों को उपयोग होना पाया गया है – इस हेतु रायल्टी की दर रू. 100/घनमीटर का 60% यानि 60/घनमीटर ।

उपरोक्त चारों शस्तियों/पेनाल्टी को समाहित करते हुए रू. 200/ घनमीटर की दर से उत्खनित रेत की मात्रा पर शस्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर के पत्र कमांक 6568 दिनांक 06/11/17 से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/2/16 से 31/1/17 तक 1,20,000 घनमीटर पर शस्ति रू. 200/घनमीटर की दर से 2,40,00,000/– (रू. दो करोड चालीस लाख मात्र) आती है एवं दिनांक 01/2/17 से 27/2/17 तक 8,547.94 घनमीटर रू. 200/घनमीटर के हिसाब से 1,07,9,588.00 (रू. एक करोड सात लाख नौ हजार पांच सौ अठ्ठासी मात्र) आती है ।

क्र.	समयावधि	सेंड की मात्रा (घनमीटर में)	शस्ति (दर/घनमीटर)	कुल शस्ति (रूपयों में)
1	01/02/16 से 31/01/17	1,20,000.00	200/–	2,40,00,000.00
2	01/2/17 से 27/2/17	8,457.94	200/–	17,09,588.00
			कुल शस्ति रू.	**2,57,09,588.00**
(कुल शस्ति शब्दों में : दो करोड़ सत्तावन लाख नौ हजार पांच सौ अठ्ठासी मात्र)				

अतः उपरोक्तानुसार समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17/7/17 के पालनार्थ बोर्ड के आदेश कमांक 586 दिनांक 13/11/17 के अनुकम में श्री इंडीविजुअल, श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर, खसरा नं. 765, 2222, ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया पर रू. 2,57,09,588.00 की पेनाल्टी अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है ।

(एन.पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

(सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी
मुख्यालय, भोपाल

(डॉ. अभय सक्सेना)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
मुख्यालय, भोपाल

(प्रशांत श्रीवास्तव)
सदस्य, एसईएसी

(मो. कासम खान)
अध्यक्ष, एसईएसी

27

संलग्नक 1.

(259)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 586 / विधि / NGT(CZ) / प्रनिबो / 17, भोपाल,दिनांक 13 NOV 2017

कार्यालय आदेश

मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2016 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मेसर्स इन्डीविजुअल ग्राम- रोहिरा, तहसील-सेवढा, जिला दतिया स्थित खदान पर पैनल्टी अधिरोपित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1 श्री मोहम्मद कासम खॉन, अध्यक्ष, एसईएसी
2 श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी
3 डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
4 श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
5 क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, ग्वालियर

समिति मान्नीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पैनल्टी राशि की गणना संबंधी प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करेगी ।

(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क. 587 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/17, भोपाल,दिनांक 13 NOV 2017

प्रतिलिपि :-

(1) निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
(2) श्री मो. कासम खान अध्यक्ष, एसईएसी, भोपाल
(3) श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी, भोपाल
(4) डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकरी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल
(5) श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
(6) क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
(7) आई.टी.शाखा प्रभारी

शाखा ...नोडल...

क्रमांक ...

विषय ...

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

258

Memo 110/2014

O. NO. 6568, 6569. Dat 06-11-17

file called today

I talk telephone to Mr. R.K. Nema mining corporation Ltd office Thatipur Gwalior Regarding of rate per cubic meter. They told that the royalty Rate Rs. 100 per cubic meter is fixed. It is placed in record.

6/11/17

संलग्नक-3 (257) 17053 21-11-17

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,ग्वालियर,

Tel:0751-247202, E-mail www.romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 6568 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 06-11-17

प्रति,

मान. सदस्य सचिव,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रकरण क्र. 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के परिपालन बाबत्।

संदर्भः- बोर्ड का पत्र क्र. 453 दिनांक 25.10.2017

महोदय,

विषयांतर्गत मुख्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.7.2017 को पारित आदेश के परिपालन में कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

मान. अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर श्री बाघमरे द्वारा दिनांक 09.01.2017 को ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया स्थित सेंड माईन सर्वे क्र. 765, 2222 रकबा 8.0 हैक्टेयर का स्थल निरीक्षण किया है। निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के उल्लंघन स्वरूप निम्नलिखित स्थिति का होना बताया है :-

(अ) सेंड माईन 2 मीटर से अधिक गहराई तक होना बताया है।

(ब) सेंड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमारकेशन नहीं होना मिला है।

(स) सेंड माईनिंग हैवी मशीनों द्वारा होना बताया है।

(द) सेंड माईनिंग हेतु भारी वाहनों का उपयोग होना पाया है।

इस कार्यालय को विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांक 25.2.2017 को यह मौखिक निर्देश दिये गये कि श्री बाघमारे, कोर्ट कमिश्नर द्वारा पायी गयी कमियों के संबंध में उद्योग को सुधार हेतु नोटिस जारी करें। तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 1146 दिनांक 25.02.2017 के माध्यम से मेसर्स श्री इण्डीविजुअल की ग्राम रोहिरा, तह. सेवढ़ा, जिला-दतिया स्थित सैण्ड माईन को उक्त आशय का नोटिस जारी किया गया है कि 2 मीटर की गइराई तक सेंड माईन के कार्य मेन्युअली पद्धति से कर सेंड का परिवहन हल्के परिवहन ट्रॉली वाहनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। सेंड माईनिंग पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप होवे। संस्था को यह नोटिस कोर्ट कमिश्नर श्री बाघमरे की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। पत्र की छायाप्रति **संलग्न-अ** है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन भोपाल के विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश के कियान्वयन हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 1149 दिनांक 25.2.2017 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर की मेसर्स श्री इन्डीविजुअल ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया के सर्वे क्र. 765, 2222 रकबा 8.0 हैक्टेयर स्थित सेण्ड माईन के आकस्मिक निरीक्षण हेतु अधिकारियों का दल गठित किया है। छायाप्रति **संलग्न-ब** है। ताकि अपालन की स्थिति में पट्टेधारी को आवश्यक निर्देश दिये जा सकें।

(256)

कार्यालय द्वारा गठित अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 27.2.2017 को मेसर्स श्री इन्डीविजुअल के उक्त सर्वे स्थित रेत खदान का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पायी गयी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है-

1. सेंड माईनिंग गैती, फावड़ा, तसला का उपयोग कर मजदूरों द्वारा मेन्युअली होना मिला है।
2. खदान स्थल हेतु माईनिंग अधिकारी द्वारा स्टेक स्थापित कर डिमांस्ट्रेशन किया है।
3. उद्यमी द्वारा नदी सरफेस सेंड माईन का कार्य होना मिला है।
4. माईनिंग में भारी वाहनों का उपयोग होना नहीं मिला है उनके द्वारा मेन्युअली श्रमिकों द्वारा सेंड माईनिंग कर यार्ड में सेंड का एकत्रीकरण किया जाना पाया है।
5. उद्यमी द्वारा सेंड माईन हेतु भारी मशीनों का उपयोग नहीं होना मिला है। निरीक्षण दल की रिपोर्ट संलग्न-स है।

कार्यालय द्वारा मुख्यालय के संदर्भित पत्र क. 453 दिनांक 25.10.2017 के परिपालन में मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन दतिया पर पैनल्टी अधिरोपित करने हेतु प्रभारी खनिज अधिकारी, खनिज शाखा वास्ते कलेक्टर कार्यालय दतिया को कार्यालयीन पत्र 6239 दिनांक 29.09.17 पुनः पत्र क. 6444 दिनांक 25.10.17 जारी किये हैं। छायाप्रति संलग्न-द है। खनिज अधिकारी दतिया द्वारा कार्यालयीन पत्रों की वांछित जानकारी के संबंध में म. प्र. राज्य खनिज निगम को काटी गयी रॉयल्टी व प्रति घनमीटर रॉयल्टी दर के संबंध में लेख करने पर दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा पत्र क. 886 दिनांक 2.11.2017 के माध्यम से इस कार्यालय को जानकारी दी है कि ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया सर्वे क. 765, 2222 रकबा 8.0 हेक्टेयर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल द्वारा ई-नीलामी में प्रस्तु. उच्चतम ऑफर मूल्य रू. 11,50,00000/- वार्षिक मात्रा 120000 घन मीटर हेतु स्वीकृत की गई थी। तद्‌नुसार अनुबंध दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक प्रथम वर्ष हेतु रेत खनिज का विक्रय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर निर्धारित था तथा द्वितीय वर्ष दिनांक 1.2.2017 से रेत खनिज का विक्रय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर नियमानुसार निर्धारित दर है। दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के संदर्भित पत्र सहित खनिज अधिकारी दतिया का पत्र संलग्न-य है।

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., उपकार्यालय, 47 सरस्वती नगर, थाटीपुर, ग्वालियर के उक्त संदर्भित पत्र के आधार पर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया की उक्त सर्वे स्थित रेत खदान से दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक सेंड माईनिंग 120000 घन मीटर एवं द्वितीय वर्ष में दिनांक 1.2.2017 से 27.2.2017 तक वार्षिक सेंड मात्रा 120000 घन मीटर पर 26 दिवस के मध्य औसतन 8547.94 घन मीटर रेत उत्खनन हुआ है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा दिनांक 1.2.2016 से 31.1.2017 तक रेत खनिज का विक्रय दर रू. 958.33 प्रति घन मीटर तथा दिनांक 1.2.2017 से 26.2.2017 तक किये गये रेत खनिज का विक्रय दर रू. 1006.25 प्रति घन मीटर निर्धारित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पैनल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिये हैं। अतः महोदय, मुख्यालय स्तर से समिति का गठन किया जाकर मेसर्स श्री इन्डीविजुअल ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया स्थित खदान पर पैनल्टी अधिरोपित करने का प्रस्ताव है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क्रमांक /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक

प्रतिलिपि :- विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

सलग्न-4 (253)
संलग्न है

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर
दूरभाष : 0751-2472020, ई-मेल - romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 1146 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रति,

श्री बृजेंद्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इण्डीविजुअल,
ए-101, 102, आदित्यपुरम,
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषय :- राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग नहीं करने संबंधी नोटिस।

संदर्भ :- 1. पर्यावर्णीय स्वीकृति क्र. 9568 दिनांक 21.12.2015
2. मान. हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. ओ.ए. 22/2015 (सीजेड), एम.ए. नं. 106/2017 एवं 1030/2016 में पारित आदेश के परिपालन में।

महोदय,

विषयांतर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रदत्त संदर्भित पर्यावर्णीय स्वीकृति का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आपको ग्राम रोहिरा, तहसील सेवढ़ा, जिला-दतिया के खसरा क्र. 765, 2222 रकवा 8.0 है. पर सशर्त पर्यावर्णीय स्वीकृति जारी की है। मान. अधिकरण द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर, श्री एस. आर. बाघमारे द्वारा निरीक्षण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो के उल्लंघन स्वरूप निम्नलिखित कमियां बतायी हैं:-

1. यह कि, सैण्ड माईनिंग दो मीटर से अधिक गहराई तक होना बतायी है।
2. यह कि, सैण्ड माईनिंग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं होना पाया है।
3. यह कि, सैण्ड माईनिंग हैवी मशीनों द्वारा होना बताया गया है।
4. यह कि, सैण्ड माईनिंग में भारी वाहनों का उपयोग होना पाया है।

उपरोक्त पायी गयी कमियों से यह स्पष्ट हो रहा है, कि आप पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुरूप सैण्ड माईनिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावर्णीय स्वीकृति की निहित शर्तो का अवलोकन करें, जिसमें 02 मीटर की गहराई तक सैण्ड माईनिंग का कार्य मैनुअली पद्धति द्वारा किया जाना आवश्यक है। सैण्ड का परिवहन हल्की परिवहन ट्रॉली वाहन द्वारा किया जाना है। एतद द्वारा उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सैण्ड माईनिंग पर्यावर्णीय स्वीकृति में निहित प्रावधानों के अनुरूप होवें, अन्यथा बोर्ड इसे जल/वायु सम्मति शर्तो का उल्लंघन मानकर प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होगा, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1147 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2017 ग्वालियर, दिनांक 25/2/17

प्रतिलिपि :-

1. मान. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि दिनांक 25.02.17 को आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुक्रम में इस खदान को उक्त आशय का नोटिस जारी किया है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R-4

पंजीकृत डाक से

(291)

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर,

Tel:0751-2472020,Fax: 0751-4043498 E-mail www.romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 1052 / क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2018 ग्वालियर, दिनांक 24/2/18

प्रति,

श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन,
ए-101, 102, आदित्यपुरम्
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषयः- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 110/2014 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 के पालनार्थ।

संदर्भः- बोर्ड का पत्र क्र. 796 दिनांक 29.12.2017 एवं पत्र क्र. 163 दिनांक 23.01.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 110/2014 (श्री सुखराम बघेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.2014 को पारित आदेश के परिपालन में बोर्ड द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन, ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया पर कुल रू. 2,57,09,588/- (दो करोड़ सत्तावन लाख नौ हजार पाँच सौ अठ्ठासी मात्र) पैनल्टी अधिरोपित की है। अतः निवेदन है कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार उक्त अधिरोपित पैनल्टी जमा कराने की कृपा करें।

(एन.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 क्रमांक/ 1052 /क्षेका/प्रनिबो/ग्वा/2018 ग्वालियर, दिनांक 24/2/18

प्रतिलिपि :-

1. मान. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एन.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पेश्योरित प्रति

295

Annexure R-5

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

दूरभाष : 0751-2472020, ई-मेल - romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 1857 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2018 ग्वालियर, दिनांक 13/4/18

प्रति,

श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इण्डीविजुअल सैण्ड माईन,
ए-101, 102, आदित्यपुरम,
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषय :- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के प्रकरण क्र. 110/2014 (सुखराम बघेल विरूद्ध म. प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 के पालनार्थ।

संदर्भ :- कार्यालय का पत्र क्र. 1052 दिनांक 24.02.2018

महोदय,

विषयांतर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से लेख किया है, कि मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 110/2014 (सुखराम बघेल विरूद्ध म. प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 के परिपालन में ग्राम रोहिरा, तह. सेवढ़ा, जिला-दतिया के सर्वे क्र. 765, 2222 रकवा 8.0 है. स्थित मेसर्स श्री इण्डीविजुअल सैण्ड माईन पर अधिरोपित पेनाल्टी राशि रु. 2,57,09,588 जमा करने का निवेदन किया गया है। परंतु आपने उक्त पेनाल्टी अभी जमा नहीं करायी है। पुनः आपसे निवेदन है कि उक्त राशि की पेनाल्टी जमा कराने की कृपा करें।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1858 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2018 ग्वालियर, दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि :-

1. मान. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विधि अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है।

(एन. पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R-6

(311)

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर,

Tel:0751-2472020, E-mail : romppcb_gwalior@rediffmail.com

क्रमांक 6503 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2019 ग्वालियर, दिनांक 30/12/19

प्रति,

श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन,
ए-101, 102, आदित्यपुरम्
एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर

विषयः- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल बेंच के प्रकरण क. 110/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भः-
1. बोर्ड का पत्र क. 1525 दिनांक 13.12.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क. 1857 दिनांक 13.4.2018
3. इस कार्यालय का पत्र क. 1052 दिनांक 24.2.2019

विषयांतर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके माध्यम से आपको मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क. 110/2014 में पारित आदेश के परिपालन में ~~समिति द्वारा~~ ग्राम-रोहिरा, तहसील-सेवढ़ा, जिला दतिया के सर्वे क. 765, 2222 रकबा 8.0 हेक्टेयर क्षेत्र स्थित मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन पर रू. 2,57,09,588/- (दो करोड़ सत्तावन लाख नौ हजार पाँच सौ अठ्ठासी मात्र) अधिरोपित पैनल्टी जमा करने का निवेदन किया गया है। बोर्ड के पत्र क. 1525 दिनांक 13.12.2019 की छायाप्रति संलग्न है जिसमें अधिरोपित उक्त पैनल्टी जमा करने के संबंध में निर्देश दिये हैं, अतः बोर्ड के उक्त आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पैनल्टी रू. 2,57,09,588/- बोर्ड में जमा कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(एन.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 क्रमांक/ 6504 /क्षेका/प्रनिबो/ग्वा/2019 ग्वालियर, दिनांक 30/12/19

प्रतिलिपि :-

श्री मुकेश कुमार गोयल, अनुभाग अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र क. 1525 दिनांक 13.12.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(एन.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R-7

(333)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक 1849 /विधि/ NGT(CZ)/प्रनिबो/22, भोपाल,दिनांक 19 MAY 2022

प्रति

श्री बृजेन्द्र सिंह तोमर,
मेसर्स श्री इन्डीविजुअल सेंड माईन,
ए-101,102 आदित्यपुरम् एयरपोर्ट रोड,
ग्वालियर ।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर आवक 885 दि. 30/5/2022

विषय :- माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2014 में दिनांक 17.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पैनल्टी राशि जमा करने बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मान्नीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2017 (सुखराम बघेल विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.2017 को पारित आदेश अनुसार पर्यावरण स्वीकृति, जल तथा वायु सम्मति शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर रूपये 2,57,09,588/- पेनल्टी अधिरोपित की गई है, जो आप दिनांक तक बोर्ड को अप्राप्त है।

कृपया शीध्र ही अधिरोपित पैनाल्टी राशि बोर्ड में तत्काल जमा करावे, ताकि माननीय अधिकरण के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सकें ।

(ए०ए०मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ । कृपया माननीय अधिकरण द्वारा आदेश के अनुपालन में कलेक्टर/माईनिंग विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

EE-1